मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर 1/2, चतुर्थ तल, पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

संख्याः पॉच–111(जांच)2021 दिनांक:लखनऊ:दिसम्बर 23, 2021

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश पुलिस।

विषयः– अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के पीएनओ नम्बर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के संलग्न पत्र संख्या:पांच–111(उ0नि0सी0भ0–2011)2017 दिनांक: 08–10–2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पीएनओ आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा– निर्देश सर्वसम्बन्धित को निर्गत किये गये हैं।

2. उपरोक्त सम्बन्ध में इस मुख्यालय के संज्ञान में लाया गया है कि उपनिरीक्षक ना0पु0 के पीएनओ आवंटित किये जाने में कतिपय जनपदों में प्रथम दो अंक, जो कि भर्ती का वर्ष है, के सम्बन्ध में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण एक ही बैच के एक ही साथ प्रशिक्षण प्राप्त किये उपनिरीक्षक के पीएनओ में भिन्नता परिलक्षित हो रही है।

3. उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या:टीएससी–39/2005(सात) दिनांक: 25–09–2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि पीएनओ नम्बर नौ अंकों का होता है, जिसमें प्रथम दो अंक कर्मी के भर्ती का वर्ष, उसके पश्चात तीन अंक यूनिट का कोड, इसके बाद तीन अंक उस वर्ष में भर्ती हुये कर्मियों में से उस कर्मी के कमांक हेतु है। अन्तिमएक अंक चेक डिजिट रखा गया है। उदाहरणतः यदि किसी कर्मी को "651100047" पीएनओ आवंटित हैं, तो उसका विवरण निम्न प्रकार है :–

65	अमुक कर्मी के भर्ती का वर्ष	भर्ती का वर्ष कर्मी की भर्ती की तिथि से निर्धारित होता है।
110	नियुक्ति जनपद/इकाई का कोड	पीएनओ आवंटन के समय नियुक्ति स्थान
004	वर्ष 1965 में भर्ती हुये कर्मियों से उनकी कम संख्या	कम संख्या केवल पीएनओ आवंटन प्रकिया से सम्बन्धित है।
7	चेक डिजिट	यह अंक कम्प्यूटर प्रोग्राम द्वारा जनरेट होता है।

4. उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मी के पीएनओ निर्धारण हेतु भर्ती की मुख्य भूमिका है एवं भर्ती वर्ष कर्मी की भर्ती की तिथि से निर्धारित होता है। इस प्रकार उपनिरीक्षक ना0पु0 सीधी भर्ती–2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उनकी भर्ती की तिथि से अनुसार भर्ती वर्ष से पीएनओ आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के संलग्न पत्र संख्या:पांच–111(उ0नि0सी0भ0–2011)2017 दिनांक:08–10–2017 द्वारा स्पष्ट निर्देश सर्वसम्बन्धित को निर्गत किये जा चुके हैं। यहां पर किसी भी कर्मी की भर्ती की तिथि का तात्पर्य सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसका नियुक्ति आदेश निर्गत होने के उपरान्त नियुक्ति स्थान पर आगमन की तिथि से है।

5. अतः अनुरोध है कि अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के पीएनओ आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही अपने स्तर से कराने का कष्ट करें, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति न उत्पन्न होने पाये।

संलग्नकः–यथोपरि।

23/12

(संजय सिंघल)
अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर को उनके पत्र संख्या:जीजेड–पांच–23 (जांच)–2021–एसी–1 दिनांक:20–12–2021 के सम्बन्ध में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2– पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।